

## अग्निशमन सेवा मुख्यालय, ड्वारखापड, रॉची।

दिनांक-05वें दिसम्बर 2019

सेवा में,

रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द सोसाईटी,  
विवेकानन्द इंग्लिश हाई स्कूल,  
चेंब रोड, साकची, पूर्वी सिंहभूम,  
जमशेदपुर।

**बिषय :-** मौजा-00, प्लाट नं0-1109, खाता न0-245, वार्ड नं0-W7, थाना नं0-1153, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में निर्मित रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द सोसाईटी विवेकानन्द इंग्लिश हाई स्कूल भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित निर्मित विद्यालय भवन की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर से कराई गई। अपने ज्ञापांक-875 दिनांक-04.12.2019 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा की अनुशंसा के आलोक में निर्मित स्कूल भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं:-

1. निर्मित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम पच्चीस हजार लीटर क्षमता वाले एक अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. अग्निशमन कार्य हेतु स्कूल भवन में कम से कम पांच-पांच हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
3. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ भवन में डाउन कमर सिस्टम की व्यवस्था की जाय, जिसके प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में प्रत्येक तलों पर 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय।
4. 450ली0 /मि0 क्षमता का टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
5. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के पास 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद CO<sub>2</sub> Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
6. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाय।
7. विद्यालय भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
8. यदि कम्प्यूटर रूम अथवा लैब हो तो उसे 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद Co<sub>2</sub> Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
9. निर्मित भवन में एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रोनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
10. स्कूल परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
  - i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 04 Nos.
  - ii. Fire Bucket - 04 Nos.
  - iii. Water CO<sub>2</sub> Fire Extinguisher 09 Ltr- 04 Nos.
11. निर्मित भवन के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
12. निर्मित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
13. निर्मित भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।

14. निर्मित भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने से पहले चेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
15. अग्नि-सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जॉच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
16. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

**(बन्धु उराँव)**

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।